भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU
संयोजक : सीएसआईआर–भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी–180 001 (भारत)
Convener : CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi - 180001 (INDIA)
दूरभाष : (0191) 2569000–06 फैक्स : (0191)–2569333, 2569023 Phones : (0191) 2569000 -06 Fax : (0191) 2569333, 2569023
E-mail : amarsingh@iiim.ac.in Website : www.tolicjammu.org

CSIR-IIIM

सत्यमेव जयते

संख्या/No............नराकास/जम्मू/बैठक/2015–16राभा. दिनांक/Dated :.:. 29.01.2016..............

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों के
अध्यक्षगण/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक।

विषयः– दिनांक 21 जनवरी, 2016 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक के कार्यवृत्त।

Subject:- Minutes of the TOLIC, Jammu meeting held on 21 January, 2016.

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा उनकी कोई आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

Sir/Madam,

The minutes of the meeting of Town Official Language Implementation Committee, Jammu held on 21 January, 2016 at 3.00 PM in the Conference Hall of IIIM, Jammu are enclosed herewith. You are requested to take necessary action on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/Suggestions, if any may be intimated to this office within two weeks.

धन्यवाद/Thank you,

भवदीय,
रमाशर्मा
(डॉ. रमा शर्मा)
सदस्य–सचिव
(मो.): 9419725099

संलग्नः– **यथावर्णित बैठक के कार्यवृत्त।**

प्रतिः–

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के कार्यालय प्रमुख।
2. उपनिदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023 ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली 01
4. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
5. संयुक्त सचिव (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली 03
6. भारत की सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्याः नराकास/जम्मू/बैठक/2015-16/राभा. **दिनांकः 27.01.2016**

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2016 को सायं 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2016 (वृहस्पतिवार) को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. सुरेश चन्द्र ने की। इस अवसर पर श्री एन.एस.मेहरा, अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय दिल्ली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, श्री आर.के.गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू, श्री सुधीर कुमार सिंह, मंडल यातायात प्रबंधक, उत्तर रेलवे, जम्मू, डॉ. शरत चन्द, सहाचार्य, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, श्री रणवीर परिसर कोट भलवाल, जम्मू, श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू तथा नगर जम्मू के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों से आये सभी कार्यालय अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी/राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी/हिन्दी अनुवादक तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त संवाददाता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित कार्यालय प्रमुखों एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत डॉ. अमर सिंह, वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि इस बैठक में प्रथम अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 के दौरान प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा तथा आपके कार्यालय में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यो की समीक्षा तथा इससे संबंधित कार्यालयों में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके अनुसार हम कार्यालयों में राजभाषा के कार्य सम्पन्न करते हैं। चूंकि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाना होता है। जिसके अन्तर्गत धारा 3(3) का हम सबको अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए, यही संविधान की मूलभावना के अनुरूप होगा। सभी भारतीय भाषाएं देश की एकता की प्रतीक है। भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये है इन आदेशों/अनुदेशों का पालन करना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति जी के संकल्पों का सम्मान करना चाहिए।

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान कहा कि सम्माननीय सदस्यों की कोई प्रतिक्रिया, सुझाव अथवा आपत्ति हो तो वे विचार रखें, लेकिन माननीय उपस्थित सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन पर गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

नराकास, जम्मू के सदस्य कार्यालयों की गृह पत्रिकाएं जो वर्ष 2015-16 में प्रकाशित की गयी वे इस प्रकार है:-

नराकास, जम्मू कार्यालय की गृह पत्रिका **'ज्ञानवार्ता' अंक-6** का विमोचन अध्यक्ष महोदय ने किया साथ ही इस अवसर पर अन्य दो प्रत्रिकाएं पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू की गृह पत्रिका **त्रिकुटा**, तथा कार्यालय महालेखाकार, जम्मू की वार्षिक गृह पत्रिका **'तवी तरंग'** अंक: 17 आदि गृह पत्रिकाओं का प्रदर्शन किया गया।

तदुपरान्त प्रथम अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टे की स्थिति इस प्रकार है:-

प्रथम अप्रैल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा:-

केन्द्रीय कार्यालय

1. फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल
2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,के.रि.पु.बल
4. 135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.रि.पु.बल जम्मू
6. पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर मुख्यालय, के.रि.पु.बल
7. 52वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
8. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
9. 152वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
10. 53वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
11. 110वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
12. 121वीं बटालियन के.रि.पु.बल, कठुआ
13. पत्र सूचना कार्यालय
14. कार्यालय महालेखाकार (हकदारी)
15. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र
17. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
18. 76वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल
19. 32वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
20. 23 विंग वायु सेना
21. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल
22. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रचालन (जम्मू व कश्मीर)
23. मुख्य अभियंता सम्पर्क परियोजना
24. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान
25. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
26. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय
27. रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय
28. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, मीरा साहिब
29. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
30. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरा साहिब
31. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
32. क्षेत्रीय तसर अनुसंधान संस्थान
33. कोयला खान भविष्य निधि
34. भारतीय समवेत औषध संस्थान
35. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.केन्द्र
36. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रादेशिक कार्यालय
37. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान प.हिमालय क्षेत्रीय केन्द्र
38. कार्यालय आयकर आयुक्त (ज.व.क.)आयकर भवन, जम्मू/श्रीनगर
39. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान
40. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान
41. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
42. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक उत्तरी कमान
43. विदेश व्यापार का कार्यालय
44. केन्द्रीय एकीकृत एवं नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र
45. रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशालय
46. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय

बैंक

47. पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जम्मू
48. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
49. भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, जम्मू
50. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षे.का.,
51. आई.डी.बी.आई.बैंक, जम्मू
52. बैंक ऑफ बड़ौदा

कारपोरेशन/निगम

53. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड
54. एन.एच.पी.सी.लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-।)
55. भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय
56. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय
57. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
58. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस क.लि. मण्डल कार्यालय-।।
59. एअर इण्डिया लिमिटेड
60. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि.मं.कार्या.-1

61. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय
62. सलाल पावर स्टेशन एन.एच.पी.सी.लि.ज्योतिपुरम
63. एन.एच.पी.सी.लि.,दुलहस्ती पावर स्टेशन किश्तवाड
64. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
65. भारतीय प्रसारण निगम दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
66. भारतीय प्रसारण निगम रेडियो कश्मीर
67. हुडको कार्यालय, जम्मू
68. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं:-

1. राजभाषा विभाग की सूची सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तक की खरीद हेतु सूची नराकास, जम्मू की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. नराकास, जम्मू के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना-वर्ष 2015-16 भारत सरकार, गृह मत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय-।, दिल्ली के पत्र दिनांक दिसम्बर, 2014 पंत्राक सं. 19/3/सभी नराकास/2011-उक्षेकाका-1(दि.)/2006-2039 के द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षिक किया है। जिसमें राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन सुनिश्चित् किया गया। जो इस प्रकार है:-

1. नराकास की बैठकों में केवल कार्यालय प्रमुख द्वारा ही भाग लिया जाए। संबंधित राजभाषा अधिकारी/अनुवादक प्रधान अधिकारियों की मदद के लिए बैठक में आ सकते हैं।
2. सभी कार्यालय अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टे अपने मुख्यालय (नियंत्रक कार्यालय समिति) नराकास सचिवालय को भेजना सुनिश्चित् करें।
3. उपरोक्त बिन्दु-3 में उल्लिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्या-1(दिल्ली), ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को ऑन लाइन भेजी जाएं। ऑन लाइन रिपोर्ट भेजने के लिए पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की जानकारी हेतु सदस्य कार्यालयों के लिए अल्पावधि की कार्यशाला का संचालन किया जाए।
4. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाएं और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाए तथा बैठक की पूर्व सूचना तथा कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाएं।
5. कार्यालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाया जाए तथा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।
6. सभी कार्यालयों द्वारा यह सूनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं।
7. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएं।
8. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जांच बिन्दु बनाए जाएं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. कार्यालय में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मियों से हिन्दी में काम करवाना सुनिश्चित किया जाए और कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम करने के लिए केवल यूनीकोड आधारित प्रणाली पर कार्य सुनिश्चित किया जाए।
10. नराकास स्तर पर तिमाही में किसी न किसी कार्यालय द्वारा किसी न किसी हिन्दी कार्यक्रम/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को नराकास की अगली बैठक में पुरस्कृत किया जाए। नराकास द्वारा अपनी एक हिन्दी गृह पत्रिका भी निकाली जाए, जिसके लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदस्य कार्यालय से एक निश्चित अंशदान वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है।
11. किसी भी कार्यालय में हिन्दी का यदि कोई पद रिक्त हो तो रिक्त पदों को भरने की तत्काल कार्रवाई की जाए तथा हिन्दी के पदों को सृजन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए न्यूनतम हिन्दी पदों संबंधी मानदंड के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी से संबंधित पदों का सृजन किया जाए तथा इन पदों को भरने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
12. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में विहित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है।
13. राजभाषा के कार्यान्वयन में जानबूझकर लापरवाही करने वाले तथा संवैधानिक प्रावधानों, महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचरियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।
14. 'क' और 'ख' को भेजे जाने वाले सभी पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखें जाए।
15. कार्यालय की वेबसाइट को अनिवार्यतः द्विभाषी बनाने के प्रयास किए जाएं।
16. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च किया जाना अपेक्षित है। कृपया अपने-अपने कार्यालयों में अनिवार्यतः हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना करें।
17. कार्यालय द्वारा स्थानीय एवं अखिल भारतीय स्तर के सभी विज्ञापन द्विभाषी जारी किए जाए तथा हिन्दी व अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर बराबर खर्च किया जाए।
18. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण का सत्र अगस्त, 2016 से प्रारम्भ होगा। कृपया अपने-अपने कार्यालय से शेष कर्मचारियों को नामित करें। कार्यालय 33, कर्ण नगर, जम्मू से सम्पर्क करें।

बैठक में राजभाषा नीति कार्यान्वयन पर चर्चा एवं सदस्यों की प्रतिक्रियाएं उनके महत्वपूर्ण सुझाव जो इस प्रकार हैः-

1. सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी शिक्षण योजना, 33 कर्ण नगर, जम्मू के श्री विभूति शरण सिन्हा बैठक में उपस्थित नहीं थे। जबकि बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है उनके प्रशिक्षण केन्द्र के श्री आर.एल.मीणा, हिन्दी प्राध्यापक हर बैठक में उपस्थित रहते हैं। सदस्यों का सुझाव था कि हिन्दी टाइपिंग प्रशिक्षण केन्द्र पर कंप्यूटर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है वहां मैनुअल टाइप मशीन द्वारा ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग से भी लिखित रूप में प्रत्राचार किया गया है।
2. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग उत्तर क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-।, दिल्ली, श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, अनुसंधान अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए राजभाषा नीति कार्यान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग एक नोडल कार्यालय है। 'क', 'ख' तथा 'ग' सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाया गया है। जम्मू एवं कश्मीर 'ग' क्षेत्र में होते हुए जम्मू नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

'क' क्षेत्र से भी उत्कृष्ट राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नियमित रूप से राजभाषा के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार प्रदान किये गये हैं इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ साथ ही नराकास, जम्मू की गृह पत्रिका **'ज्ञानवार्ता'** के नियमित प्रकाशन के लिए उत्कृष्ट प्रयास के लिए साधुवाद देता हूँ। उन्होंने वर्ष 2014-2015 के लिए राजभाषा विभाग से राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। जिसमें नराकास, जम्मू कार्यालय को श्रेष्ठ निष्पादन के लिए **प्रथम** पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्री मेहरा ने सभी सदस्य कार्यालयों से अपील की कि अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टे ऑन लाइन भिजवाना सुनिश्चित करें साथ ही नराकास, जम्मू कार्यालय को रिपोर्ट भी ऑन लाइन प्रेषित की जाए।

3. श्री आर.के.गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू ने राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए नराकास, जम्मू द्वारा जो प्रयास किए जा रहे है। उनके प्रयायों के लिए अध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने बैंक में राजभाषा गतिविधियों का संक्षेप में परिचय देते हुए भविष्य के लिए भी उपयोगी बताया।
4. उत्तर रेलवे जम्मू के यातायात मंडल प्रबंधक, श्री सुधीर कुमार सिंह ने नराकास, जम्मू की गतिविधियों एवं हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के विषय पर एवं नराकास, जम्मू द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों के लिए अध्यक्ष महोदय को हार्दिक बधाई दी और नराकास, जम्मू की पत्रिका **'ज्ञानवार्ता'** के विमोचन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक सराहनीय प्रयास बताया और अन्य सदस्य कार्यालयों की पत्रिकाओं के लिए भी राजभाषा की प्रगति में अच्छे प्रयास है।
5. भारतीय संस्कृत संस्थानम्, जम्मू के डॉ. शरदचंद, सहाचार्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए समिति की उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं। निकट भविष्य में भी समिति से ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है। जिसके लिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया।
6. संस्थान के श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन ने राजभाषा हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जो आदेश/अनुदेश भेजे जाते हैं और राजभाषा नीति के अन्तर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और सचिव, नराकास, जम्मू डॉं. अमर सिंह, सेवानिवृत्त हो गए है और अगली सचिव, नराकास, जम्मू डॉ. रमा शर्मा को कार्यभार सौंपा गया है।
7. संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. सुरेश चन्द्र ने बैठक में सभी कार्यालय प्रमुखों

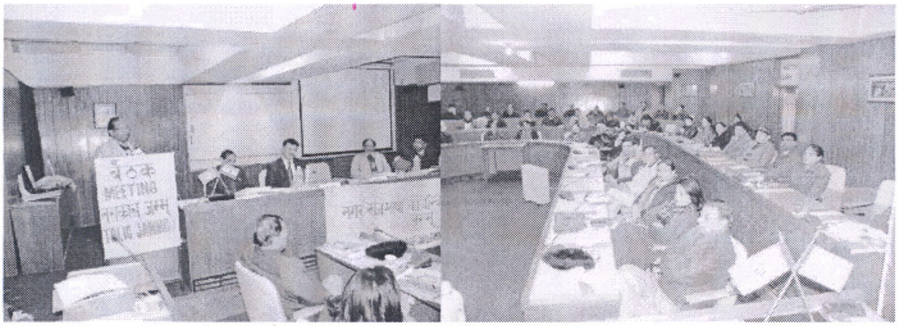

एवं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अपने संस्थान की ओर से व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंच से उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि भारत सरकार के अधीन यह समिति केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों का एक संयुक्त मंच है इस मंच के माध्यम से हिन्दी कार्यान्वयन एवं अपनी समस्याओं के निदान हेतु छः महीने के अन्तराल पर हम सबको पुनः मिलने का अवसर मिलता है। चूंकि हिन्दी कार्यान्वयन प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय

कार्य का हिस्सा है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए अन्य प्रदेशों के साथ हिन्दी प्रचार-प्रसार की तुलना करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य स्तर पर अलग-अलग अनुपात में हर प्रदेश में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि व्यक्ति विशेष द्वारा चर्चा के दौरान सबसे अधिक वार्तालाप का माध्यम हिन्दी ही है। हम सबको अपने कार्यालय स्तर पर हिन्दी प्रयोग बढ़ाना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित होने के लिए सबका हृदय से आभार व्यक्त किया। अन्त में राजभाषा कार्य के श्रेष्ठ निष्पादन हेतु विभिन्न कार्यालयों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

धन्यवाद प्रस्ताव में संस्थान के श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन ने बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित नराकास जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों एवं नगर के प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त किया।

डॉ. सुरेश चन्द्र
कृते अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. रमा शर्मा
सदस्य-सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

कार्य का हिस्सा है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए अन्य प्रदेशों के साथ हिन्दी प्रचार-प्रसार की तुलना करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य स्तर पर अलग-अलग अनुपात में हर प्रदेश में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि व्यक्ति विशेष द्वारा चर्चा के दौरान सबसे अधिक वार्तालाप का माध्यम हिन्दी ही है। हम सबको अपने कार्यालय स्तर पर हिन्दी प्रयोग बढ़ाना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित होने के लिए सबका हृदय से आभार व्यक्त किया। अन्त में राजभाषा कार्य के श्रेष्ठ निष्पादन हेतु विभिन्न कार्यालयों को शील्ड एवं प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

धन्यवाद प्रस्ताव में संस्थान के श्री पंकज बहादुर, नियंत्रक प्रशासन ने बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित नराकास जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों एवं नगर के प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त किया।

डॉ. सुरेश चन्द्र
कृते अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. रमा शर्मा
सदस्य-सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू